

प्रवेश और फीस नियमन समिति

बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग।

सूचना

समिति के पत्र सं०-120/प्र०फी०नि०स०/सू०/2016, दिनांक : 09 नवम्बर, 2016 द्वारा विज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम जो ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त है, के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क के सहमति अथवा असहमति की स्थिति में अपना विकल्प समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर आन-लाईन आमंत्रित की गयी थी। जो जनहित में बढ़ाकर 10.01.2017 तक कर दी गयी है। विज्ञापन में दी गयी अन्य सभी सूचनाएं पूर्व की भाँति यथावत् रहेगी। तदनुसार समस्त सम्बंधित अवगत होने का कष्ट करें।

Mahesh Kumar Yadav

कृतेसचिव

प्रवेश और फीस नियमन समिति